



राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक : F7(51)RajMES/Acad./Private Practice/2019/

दिनांक

परिपत्र

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी के अधीन चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत एम.बी.बी.एस. डिग्रीधारी चिकित्सक शिक्षकों को कार्यालय समय के अतिरिक्त निजी प्रेक्टिस करने की एतद्द्वारा प्रशासनिक अनुमति प्रदान की जाती है। यह अनुमति निम्न शर्तों के अध्याधीन होगी :-

1. चिकित्सक शिक्षक निजी प्रेक्टिस हेतु कार्यस्थल से 25 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं जायेंगे।
2. चिकित्सक शिक्षक प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व निजी प्रेक्टिस करने हेतु विकल्प का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।
3. चिकित्सक शिक्षक जो निजी प्रेक्टिस का विकल्प प्रस्तुत करेंगे/चुनेंगे उन्हें उनके समेकित वेतन (Consolidated Salary) में से 10% Non Practicing Allowance (N.P.A.) के रूप में कटौती की जावेगी।
4. निजी प्रेक्टिस का विकल्प प्रस्तुत करने/चुनने पर ली जाने वाली फीस की शर्तें वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.1(3)FD/Rules/2011 दिनांक 30.05.2011 के अनुसार रहेगी।
5. चिकित्सक शिक्षक द्वारा दिन प्रति दिन के राजकीय कार्य को निष्ठापूर्वक सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा अन्यथा राज्यादेश की अवहेलना समझी जायेगी एवं नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

यह परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 212100001 दिनांक 01.01.2021 से प्राप्त सहमति से जारी किया जाता है।

१०/-

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर

दिनांक 22/01/2022

क्रमांक : F7(51)RajMES/Acad./Private Practice/2019/ 169

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव-I, वित्त (नियम) विभाग, जयपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य, राजमेस मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
5. उप विधि परामर्शी, राजमेस, जयपुर।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजमेस, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर